



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58571-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**जन हित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 692/2026**

मनोहर एवं 6 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

---

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रदीप कुमार चौरसिया

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी., तेन सिंह

---

**न्यायालय संख्या - 21**

**माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी**

**माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार चौरसिया; राज्य प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राम नंद पांडे और प्रत्यर्थी संख्या 2, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तेन सिंह को सुना।
2. जनहित याचिका के रूप में पसंद की गई वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत मांगी है:

*"(i) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या-3/जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जनपद महाराजगंज को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम सभा बैरवा बेंकटवा, विकास खंड लक्ष्मीपुर, जनपद महाराजगंज की पंचायत निर्वाचन मतदाता सूची, 2025 से अवैध रूप से विलोपित किए गए सभी वास्तविक*



एवं पात्र मतदाताओं के नामों को विधि के अनुसार समुचित सत्यापन करने के उपरांत पुनः बहाल करें।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या-3/जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जनपद महाराजगंज को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम सभा बैरवा बैंकटवा, विकास खंड लक्ष्मीपुर, जनपद महाराजगंज की पंचायत निर्वाचन मतदाता सूची, 2025 से लगभग 500 मतदाताओं के नामों के अवैध एवं मनमाने ढंग से विलोपन के संबंध में निष्पक्ष, निर्भीक एवं पारदर्शी जांच कराएँ तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार समुचित कार्यवाही करें।

(iii) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या-3/जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जनपद महाराजगंज को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं एवं ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों/प्रार्थना-पत्रों पर निर्धारित समयावधि के भीतर विचार कर निर्णय लें तथा विधि के अनुसार निर्वाचन नामावली का सत्यापन करते हुए पंचायत मतदाता सूची, 2025, ग्राम सभा बैरवा बैंकटवा, विकास खंड लक्ष्मीपुर, जनपद महाराजगंज से अवैध रूप से विलोपित सभी पात्र मतदाताओं के नामों को अस्थायी रूप से पुनः बहाल करें।

(iv) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और समीचीन समझे।

(v) याचिकाकर्तागण को वाद व्यय प्रदान किया जाए।”

3. शुरुआत में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राम नंद पांडे ने वर्तमान याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्ति जताई है और प्रस्तुत किया है कि, वर्तमान याचिका को दायर करते समय, याचिकाकर्तागण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय XXII के नियम 1 के उप-नियम (3-ए) का सख्ती से पालन नहीं किया है, जैसा कि *उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौपाल एवं अन्य 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 1029* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर संशोधित किया गया है, इस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता बड़े पैमाने पर जनता के हितों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। रिट याचिका के पैराग्राफ 19 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्तागण के परिवार के सदस्यों सहित कई मौजूदा मतदाताओं के नामों को जानबूझकर बिना कोई नोटिस जारी किए, कोई जांच

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए बिना, या कानून के तहत आवश्यक उचित सत्यापन किए बिना मतदाता सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के बजाय, याचिकाकर्तागण ने जनहित याचिका की आड़ में अपने स्वयं के कारण का समर्थन करने के लिए वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी है।

4. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों और मांगी गई राहतों को ध्यान में रखते हुए, हम तत्काल याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, विशेष रूप से प्रकरण में उपलब्ध विस्तृत वैधानिक प्रक्रिया को देखते हुए। यदि पदधारी मतदाता सूची में अपने नाम के बहिष्करण या शामिल होने से व्यथित हैं, तो कानून के तहत एक उपयुक्त उपचारात्मक मंच उपलब्ध है। अपनी व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के बजाय, तत्काल जनहित याचिका को सात व्यक्तियों द्वारा प्राथमिकता दी गई है, जो रिट याचिका के पैराग्राफ 19 में किए गए कथनों के अनुसार, अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के कारण का समर्थन कर रहे हैं।

5. वर्तमान याचिका, गुण-दोष से रहित होने के कारण, तदनुसार **खारिज** की जाती है।

हालाँकि, याचिकाकर्तागण स्वतंत्र हैं कि, यदि वे व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हैं, तो वे विधि के अनुसार उपलब्ध उपाय का लाभ उठा सकते हैं।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

20 मार्च, 2026

मुकेश कुमार